

गाजा नरसंहार: कानूनी दायित्व, कर्तव्य में चूक, और सांठगांठ की कीमत

21 जुलाई 2025 तक, गाजा में चल रहा नरसंहार न केवल एक मानवीय आपदा है - यह अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के खिलाफ एक विनाशकारी अभियोग है। 60,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की हत्या, एक मिलियन से अधिक लोगों को निगलने वाली भुखमरी, और गाजा के बुनियादी ढांचे के मलबे में बदल जाने के साथ, दुनिया एक एकल सत्य का सामना कर रही है: नरसंहार हुआ है, और जिनके पास इसे रोकने का कानूनी और नैतिक कर्तव्य था, वे विफल रहे हैं। यह निबंध नरसंहार कन्वेशन और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसलों द्वारा शुरू की गई बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों, प्रमुख देशों द्वारा उस कर्तव्य की चूक, और उनकी सांठगांठ की गहरी कीमत - कानूनी, नैतिक, और मुआवजा देने वाली - को रेखांकित करता है।

नरसंहार कन्वेशन के तहत कानूनी दायित्व

1948 का नरसंहार की रोकथाम और दंड संहिता सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर एक स्पष्ट दायित्व थोपता है:

“संविदा पक्ष यह पुष्टि करते हैं कि नरसंहार, चाहे वह शांति के समय में हो या युद्ध के समय में, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक अपराध है, जिसे रोकने और दंडित करने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं।”

नरसंहार को अनुच्छेद II में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

“निम्नलिखित में से कोई भी कार्य, जो किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को, इस तरह के समूह के रूप में, पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किया गया हो: (क) समूह के सदस्यों की हत्या; (ख) गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना; (ग) ऐसी जीवन स्थितियों को जानबूझकर थोपना जो समूह की भौतिक विनाश की ओर ले जाएं; (घ) जन्मों को रोकना; (ड) बच्चों को जबरन स्थानांतरित करना।”

गाजा में इज़राइल का आचरण - जिसमें सामूहिक हत्याएं, जानबूझकर भुखमरी, अस्पतालों, खेतों और घरों का विनाश शामिल है - स्पष्ट रूप से नरसंहार के **actus reus** को पूरा करता है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 2007 में बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो में अपने फैसले में पुष्टि की:

“एक राज्य का दायित्व रोकथाम करने और उसका संबंधित कर्तव्य कार्य करने का उस क्षण उत्पन्न होता है जब राज्य को नरसंहार होने के गंभीर जोखिम की जानकारी होती है, या सामान्य रूप से उसे इसकी जानकारी होनी चाहिए थी।”

यह दायित्व परिणाम का नहीं, बल्कि आचरण का है। राज्यों को अपने प्रभाव के अनुपात में सभी उपलब्ध साधनों के साथ कार्य करना होगा।

जनवरी 2024 में, ICJ ने दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल में फैसला सुनाया:

“तथ्य और परिस्थितियां यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि दक्षिण अफ्रीका द्वारा दावा किए गए कुछ अधिकार... विश्वसनीय हैं। इसमें गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार के कृत्यों से संरक्षित होने का अधिकार शामिल है।”

इसने सभी संविदा पक्षों के लिए तत्काल कानूनी कर्तव्यों को शुरू किया। **अनुच्छेद 41** के तहत, ये अस्थायी उपाय बाध्यकारी हैं। उस क्षण से आगे कोई कार्रवाई न करना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।

शक्तिशाली देशों द्वारा कर्तव्य में चूक

कानूनी स्पष्टता के बावजूद, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश - संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम - न केवल अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे, बल्कि सक्रिय रूप से नरसंहार को संभव बनाया।

- संयुक्त राज्य अमेरिका:** 3.8 बिलियन डॉलर की वार्षिक सैन्य सहायता, संघर्ष के दौरान अतिरिक्त हथियार, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बार-बार वीटो के साथ, अमेरिका ने कानूनीता के बजाय गठबंधन को चुना। इसकी विफलता बोस्निया मामले में सर्बिया की दोषिता को दर्शाती है।
- जर्मनी:** “फिर कभी नहीं” का आह्वान करते हुए, जर्मनी ने केवल 2024 में 326 मिलियन यूरो के हथियार इज़राइल को निर्यात किए। इसकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को उलट दिया गया है - असमर्थनीय की रक्षा के लिए हथियार बनाया गया है।
- यूनाइटेड किंगडम:** 42 मिलियन पाउंड के हथियार निर्यात और लगातार कूटनीतिक संरक्षण के साथ, यूनाइटेड किंगडम ने अंतरराष्ट्रीय कानून में अपनी विरासत को कमजोर किया। इसका कर्तव्य कार्य करने का स्पष्ट था - और इसे नजरअंदाज किया गया।

कन्वेंशन के **अनुच्छेद III(e)** के तहत, “नरसंहार में सांठगांठ” स्वयं एक अपराध है। इन देशों ने सामग्री समर्थन और हस्तक्षेप न करने के माध्यम से इस सीमा को पार कर लिया है।

नरसंहार की मंशा: बयानबाजी से वास्तविकता तक

नरसंहार का **mens rea** - एक समूह को नष्ट करने की मंशा - अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसे इज़राइली नेताओं ने बार-बार घोषित किया है:

“फिलिस्तीनी पशुओं की तरह हैं, वे इंसान नहीं हैं।”

एली बेन दहान, 2013, केसेट सदस्य

“हम मानव पशुओं से लड़ रहे हैं और हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं।”

योआव गलांट, 9 अक्टूबर 2023, इज़राइल के रक्षा मंत्री

“गाजा के निवासियों को भूख से मरने देना उचित और नैतिक हो सकता है...”

“हम गाजा को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं... सेना एक भी पत्थर को दूसरे पर नहीं छोड़ेगी।”

बेजालेल स्मोटरिच, 5 अगस्त 2024, इज़राइल के वित्त मंत्री

“एकमात्र समाधान गाजा को इसके लोगों के साथ एक बार में जलाना है।”

“हमारा साझा लक्ष्य गाजा को पृथ्वी के चेहरे से मिटाना है। गाजा को अब जलाएं।”

निस्सिम वटुरी, 20 नवंबर 2023, केसेट के उपाध्यक्ष

“सेना को गाजा के नागरिकों के लिए मृत्यु से भी अधिक दर्दनाक तरीके खोजने चाहिए।”

“उन्हें मारना पर्याप्त नहीं है।”

अमिचाई एलियाहू, 5 जनवरी 2024, इज़राइल के विरासत मंत्री

“कोई निर्दोष नहीं है। गाजा को धराशायी कर देना चाहिए।”

“हम गाजा में एक ग्राम सहायता भी प्रवेश नहीं करने देंगे जब तक कि इसके लोग गिड़गिड़ाएं और घुटनों पर न आएं।”

इटामार बेन ग्विर, 2024, इज़राइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री

“गाजा का हर बच्चा दुश्मन है। हमें गाजा पर कब्जा करना होगा जब तक कि एक भी बच्चा न बचे।”
मोशे फेगलिन, 22 मई 2025, केसेट के पूर्व सदस्य, ज़हूत पार्टी के नेता

ये बयान अलंकारिक नहीं हैं। ये नरसंहार की मंशा की खुली स्वीकारोक्ति हैं। इज़राइल के आचरण - सामूहिक हत्याएं, भुखमरी, शहरी विनाश - के साथ मिलकर, ये नरसंहार के लिए एक पूर्ण कानूनी मामला बनाते हैं।

सांठगांठ की कीमत: मुआवजा और जवाबदेही

नरसंहार के कानूनी परिणाम निंदा के साथ समाप्त नहीं होते। इनमें **मुआवजा** शामिल है।

बोस्निया मामले में ICJ की तर्कसंगति और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पीड़ित-केंद्रित न्याय के मानदंडों के अनुसार, मुआवजा न केवल अपराधियों द्वारा, बल्कि उन देशों द्वारा भी भुगतान किया जाना चाहिए जिन्होंने अपराध को रोकने में विफल रहे या इसे सामग्री रूप से संभव बनाया।

मुआवजे में शामिल होना चाहिए:

- गाजा के बचे लोगों के लिए: पुनर्निर्माण के लिए अनुमानित 18.5 बिलियन डॉलर (विश्व बैंक, 2025)
- वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों के लिए: बस्ती विस्तार और हिंसा के कारण नुकसान के लिए - 5-10 बिलियन डॉलर
- फिलिस्तीनी डायरेस्पोरा के लिए: ऐतिहासिक वंचन और निर्वासन के लिए - 10-20 बिलियन डॉलर
- भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य के लिए: संप्रभुता और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए - 30-50 बिलियन डॉलर

वित्त पोषण को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रशासित एक ट्रस्ट के माध्यम से एकत्र किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनी कार्रवाइयां अनुपालन को मजबूर कर सकती हैं। ICJ का अंतिम फैसला - अभी भी लंबित - इस आवश्यकता को लागू करने योग्य दायित्वों में बदल सकता है।

जर्मनी, जिसने पिछले 77 वर्षों में होलोकॉस्ट के दौरान अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए इज़राइल को मुआवजा दिया है, अब खुद को इतिहास के दूसरी तरफ पाता है। अपनी निष्क्रियता के माध्यम से - और इससे भी बदतर, हथियारों की आपूर्ति के माध्यम से अपने प्रत्यक्ष समर्थन के कारण - इसने यह सुनिश्चित किया है कि यह संभवतः अगले 77 वर्षों तक फिलिस्तीनी लोगों को मुआवजा देना होगा। युद्ध के बाद इसका नैतिक पूँजी न केवल न्याय के लिए खर्च की गई, बल्कि अन्याय को बनाए रखने में खर्च की गई।

इज़राइल के लिए - नरसंहार का प्राथमिक अपराधी - इसकी जिम्मेदारी वित्तीय मुआवजे के साथ समाप्त नहीं हो सकती। विनाश, विस्थापन और अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना के विशाल पैमाने को देखते हुए, इज़राइल केवल मौद्रिक साधनों के माध्यम से अपनी मुआवजा संबंधी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ हो सकता है। ऐसे परिदृश्य में, **क्षेत्रीय प्रतिपूर्ति** - चुराई गई जमीन को इसके वैध फिलिस्तीनी मालिकों को वापस करना - न केवल एक नैतिक अनिवार्यता के रूप में उभर सकता है, बल्कि एक कानूनी आवश्यकता के रूप में भी।

निष्कर्ष: कर्तव्य का उल्लंघन, न्याय की मांग

गाजा में नरसंहार गुप्त रूप से नहीं हुआ। यह लाइव हुआ, कानूनी रूप से बाध्य दुनिया के सामने, जिसने निष्क्रियता को चुना।

कानूनी दायित्व स्पष्ट थे। कर्तव्य में चूक जानबूझकर थी। सांठगांठ की कीमत अब चुकानी होगी।

यह केवल इज़राइल का अपराध नहीं है। यह उन देशों का भी है जिन्होंने इसे वित्त पोषित किया, हथियारबंद किया और बचाव किया। मुआवजा, अभियोजन, और ऐतिहासिक हिसाब-किताब न केवल संभव हैं - वे आवश्यक हैं।

जर्मनी, जो खुद को होलोकॉस्ट के बाद की नैतिकता का संरक्षक घोषित करता है, को अपने दोहरे मानदंडों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। और इज़राइल, एक लोगों को नष्ट करने और अपनी स्वयं की वैधता को समाप्त करने के बाद, यह पा सकता है कि उसकी एकमात्र शेष मुद्रा वह जमीन है जिसे उसने बलपूर्वक लिया था - और जिसे अब उसे वापस करना होगा।

“फिर कभी नहीं” एक नारा नहीं है। यह एक जिम्मेदारी है। और गाजा में, दुनिया इसमें विफल रही है।